

न्यायालय नायब तहसीलदार जालोर

सरकार बनाम श्रीपाराम श/० भांगाराम श/० श्री मि० नरसाणा

मुकदमा नं. ५९/२०१७

धारा 91 LR ACT 1956

निर्णय दिनांक 30.01.2018

पत्रावली आज पेश हुई गैर सायल श्रीपाराम श/० भांगाराम उपस्थित, पटवारी हल्का नरसाणा की रिपोर्टनुसार मौजा नरसाणा के खसरा नं. ०५०५३७९ रकबा ०.०५ किस्म श्री. ०.२००००००० भूमि पर संवत् 2074 में कब्जा रूप में अतिक्रमण करने पर गैर सायल को धारा 91 (3) के तहत जरिये नोटिस तलब किया गया, गैर सायल द्वारा अपने कब्जे की वैधता में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया। अतः राज० भू०रा० अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर जुर्माना ग्राम की दर ५.०० रुपये प्रति हैक्टर के हिसाब से ०.०५ हैक्टर की दर ०.२० रुपये का पचास गुणा से १०/ रुपये अक्षरे २५ रुपये आरोपित किया जाता है। मौके पर से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये जाते हैं पटवारी हल्का को बेदखल हेतु व टी.आर.ए. मांग कायमी हेतु लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 30.01.2018 को सुनाया गया।

नायब तहसीलदार, जालोर
(श्री पुखाराम मीणा)

नायब तहसीलदार, जालोर